POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 नवम्बर, 2025 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! 'अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना होगा। यह तभी संभव होगा जब हम देश में बने उत्पादों को गर्व से खरीदेंगे। हमारे व्यापारी भी जो कुछ भी बेचेंगे वह हमारे देश में ही बना होना चाहिए। जब हर भारतवासी ऐसा करेगा, तो हमारा पैसा देश के विकास में काम आएगा।'

हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है। स्वदेशी वस्तुएं न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो आत्मनिर्भर होने के साथ ही अपने देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

मेक इन इंडिया पहल से भारत ने वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्टार्ट अप इकोसिस्टम के विकास में कई नवाचार हो रहे हैं। भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण केंद्र बन गया है साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स व रक्षा उत्पादन जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है।

विदेशी उत्पादों के उपभोग से हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने से जहां हमारी विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम होगी वहीं स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने से वस्तुओं की गुणवत्ता और उत्पादकता में इजाफा होगा।

भारत की गिनती अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में की जा रही है। दुनियाभर में भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। विकास का यह अनवरत प्रयास हमारे विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेगा।

## रजिस्ट्रेशन कानून में बदलाव की तैयारी, राज्य बना सकेंगे नियम

केंद्र सरकार जमीन के सौदों में धोखाधड़ी और विवाद कम करने के लिए 117 साल पुराने 'रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908' को बदलने जा रही है। नया रजिस्ट्रेशन बिल, 2025 राज्यों को यह अधिकार देगा कि रजिस्ट्रार जमीन के स्वामित्व और रिकॉर्ड की गहन जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी डील को पंजीकृत करे। अभी तक रजिस्ट्रार के लिए ऐसा करने की बाध्यता नहीं है।

इस कदम से खुदरा खरीददारों और निवेशकों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी, जो अभी तक केवल अपनी निजी जांच पर निर्भर रहते हैं। नए बिल में जहां तक संभव हो पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस करने, ई-डॉक्यूमेंट प्रजेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का प्रावधान है। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से पारदर्शिता बढ़ेगी और 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा। बिल में पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, मॉर्गेज अरेंजमेंट व कोर्ट ऑर्डर आधारित दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल किया गया है। इसके अलावा मनमाने ढंग से पंजीकरण से इनकार करने पर रोक के लिए स्पष्ट आधार तय किए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने मई में हितधारकों की टिप्पणियों के लिए बिल का मसौदा पेश किया था।

## बदलना होगा खराब मोबाइल, साथ ही देना होगा मुआवजा

जिला उपभोक्ता आयोग, जोधपुर-द्वितीय में सिटी होम्स निवासी भजनलाल ने रतनाड़ा स्थित डीलर कृष्णा मोबाइल व संबंधित कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार उपभोक्ता भजनलाल ने डीलर कृष्णा मोबाइल से सैमसंग ए50 मोबाइल 20 हजार रुपए में खरीदा। उनके मुताबिक उन्हें बेचा गया मोबाइल सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और वांछित गुणवत्ता का नहीं निकला। डीलर, कंपनी और सर्विस सेंटर में शिकायत करने के बाद भी संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। मोबाइल की कीमत और मुआवजे की मांग करते हुए उन्होंने उपभोक्ता अदालत में परिवाद दर्ज कराया।

उपभोक्ता आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा गया कि बेचा गया मोबाइल दोषरहित था। आयोग ने मामले से संबंधित सभी प्रस्तुत दस्तावेजों और प्रमाणों का परीक्षण किया और पाया कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपभोक्ता को अपेक्षित सेवा नहीं दी गई। अतः विक्रेता व अन्य अपने उत्तरदायित्वों से नहीं बच सकते। उपभोक्ता आयोग ने वादी भजनलाल को नया मोबाइल देने और साथ ही उन्हें हुई मानसिक-पीड़ा के बदले 15,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

## प्रदेश के गांवों में बनेंगे अटल प्रगति पथ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गांवों के विकास की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रदेश में 249 अटल प्रगति पथों के निर्माण की शुरुआत की है। गांवों में शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से बनने वाले इन प्रगति पथों से ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद और कच्चा माल बड़े शहरों और कस्बों तक आसानी से पहुंच सकेगा।

प्रथम चरण में 10 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में व द्वितीय चरण में 5 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले गांवों में सीमेंट कंक्रीट से बनने वाले इन प्रगति पथों का निर्माण चरणबद्ध रूप से करवाया जाएगा। ये अटल प्रगति पथ गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, जिससे गांवों के विकास में तेजी आएगी।

## ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा ऋण

प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को डेढ़ फीसदी सालाना दर पर 40 हजार रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इसके लिए राजस्थान महिला निधि योजना को नेशनल को-ऑपरेटिव डवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से 3 हजार करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।

योजना के तहत सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें निराश्रित, गरीब और वंचित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। डिजिटल आवेदन और न्यूनतम कागजी कार्यवाही होने से प्रक्रिया बेहद सरल है। यह राशि महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम, कृषि, पशुपालन, छोटे कारोबार और सामाजिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

## उगेगी छिलका रहित जौ की फसल

जयपुर जिले में दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने छिलका रहित जौ की चार नई किस्म तैयार की है। जो राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षण के अंतिम पायदान पर है। यह परीक्षण अगले रबी सीजन 2025-26 में किया जाएगा।

इस परीक्षण में सफल होने के बाद इसे राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। देश में पहले से मौजूद किस्म की तुलना में 5 से 10 प्रतिशत अधिक उपज देने और गुणवत्ता जांच में उत्तम पाए जाने पर ही राष्ट्रीय किस्म चयन समिति में अनुमोदन होगा। हालांकि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि इन किस्मों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण हो चुका है। ये किस्में हर पैरामीटर पर खरी उतरेंगी।

## 'सबकी योजना, सबका विकास'

पंचायती राज मंत्रालय ने देश में जन योजना अभियान 'सबकी योजना, सबका विकास' शुरू किया है। यह राष्ट्रव्यापी अभियान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू करेगा।

इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा वितरण और बेहतर परिणाम लाने के लिए स्थानीय प्रशासन को सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। इस अभियान में गांवों के विकास में ग्रामीणों की भी खास भूमिका रहेगी।

## बाल विवाह नहीं, अब शिक्षा पर फोकस

यह खुश खबर है, राजस्थान में बाल विवाह की रीत टूट रही है। शिक्षा में बढ़ोतरी, जागरूकता, स्वास्थ के प्रति सजगता और सरकारी प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ बेटियों में जागृति आई है। किशोरियां अपनी मर्जी के खिलाफ बाल विवाह का दंश झेलने को तैयार नहीं। किशोरियां खुद शिकायत कर शादी रुकवा रही हैं।

प्रदेश में 52 बाल विवाह शून्य करवाए गए व 2200 से अधिक बाल विवाह रुकवाए गए हैं। यहां तीन दिन में दो बाल विवाह निरस्त करवाने का रिकॉर्ड बना है। बेटियों की आवाज अदालत तक पहुंच रही है। जोधपुर संभाग में बेटियों ने सबसे ज्यादा बाल विवाह शून्य करवाए हैं। मेवाड़ की बेटियों ने भी खास हिम्मत दिखाई है। देशभर में प्रदेश बाल विवाह शून्य करवाने में पहले स्थान पर है।

## फसल बीमा: फायदे में बीमा कंपनी?

केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के फायदे के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, लेकिन प्रदेश में इससे किसानों को कम फायदा मिल रहा है। मुआवजे के नियमों में पेचीदगी के चलते किसानों को किस्त राशि के बराबर भी क्लेम नहीं मिल रहा।

हकीकत यह है कि पिछले 6 साल में किसानों व सरकार ने 28683 करोड़ रुपए बीमा किस्त जमा कराई, लेकिन किसानों को सिर्फ 21184 करोड़ ही क्लेम मिला। यानी, बीमा कंपनियों को 7499 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। किसान बीमा कंपनियों के नियमों के फेर में उलझ रहे हैं, जिससे उन्हें सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा।

## पराली से तैयार हो रहा कागज

किसानों और पर्यावरण के लिए समस्या बनी पराली से अब कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का कागज तैयार हो रहा है। इस नवाचार से जयपुर स्थित सांगानेर में कागज बनाने वाले अच्छा लाभ उठा रहे हैं। यहां की कागज निर्माता इकाइयां किसानों से सस्ती कीमत पर पराली खरीद कर उसे प्रोसेस कर कागज तैयार कर रही है।

खास बात यह है कि पराली से बना यह कागज न केवल देश के बाजार में, बल्कि यूरोप, यूएसए, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी खूब पसंद किया जा रहा है। इस कागज की क्वालिटी मजबूत और टिकाऊ है। यही वजह है कि विदेशों से इसके ऑर्डर लगातार आ रहे हैं।

## महिला गोपालकों को मिलेगा ऋण

किसानों की दैनिक आमदनी बढ़ाने के मकसद से उन्हें पशुपालन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए राजस्थान सहकारिता विभाग की 'राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना' के तहत महिला और पुरुष दोनों पशुपालकों को लाभ मिलता है।

इस योजना में राजीविका महिला समूह की सदस्यों को ऋण वितरण में प्राथमिकता दी जाने लगी है। महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है। महिला को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से सदस्यता लेनी होगी। प्रथम चरण में 5 लाख पशु पालक परिवारों को ऋण देने का प्रावधान है। योजना के तहत गोवंश के लिए शेड निर्माण, चारे के लिए खेत के निर्माण, दूध संबंधी उपकरण, चारा काटने और बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा रहा है।

## युवा उद्यमी शुरू करें खुद का कारोबार

विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना के तहत खुद का कारोबार शुरू करने के लिए मान्यता प्राप्त बैंकों से ऋण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना में राज्य सरकार की ओर से नियमानुसार 8% तक सब्सिडी दी जाती है।

योजना में महिलाओं, दिव्यांगों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए खास व्यवस्था की गई है। इन्हें 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच लोन लेने पर 1% की अलग से ब्याज में छूट मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले बुनकर व अन्य कलाकारों को भी यह सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के उद्यमी भी नियमानुसार 2 करोड़ रुपए तक लोन ले सकते हैं।

## देश में आदिवासी बच्चे बनेंगे सक्षम

देश के एकलव्य आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे 9वीं से 12वीं तक के आदिवासी बच्चों को नि:शुल्क विशेष कक्षाएं लगाकर 'मिशन सक्षम' के तहत जेईई व नीट की तैयारी करवाई जाएगी।

चयनित बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। मिशन का उद्देश्य आदिवासी बच्चों की एक पीढ़ी को गरीबी से बाहर लाकर सशक्त बनाना है। उन्हें डॉक्टर-इंजीनियर बनाना है। पहली बार शुरू इस मिशन के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 630 एकलव्य विद्यालयों के 30 हजार बच्चों को इसकी तैयारी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जिम्मा नवोदयन फाउंडेशन ने लिया है, जो परीक्षा की तैयारी के लिए फैकल्टी उपलब्ध करवाएगा। परीक्षा में सफल छात्रों को टॉप मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिलवाया जाएगा।

## मैन्यूफैक्चरिंग में आगे बढ़ी महिलाएं

राजस्थान की महिलाएं अब घर और खेत की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। उनके कदम अब उद्योग और व्यापार क्षेत्र में पुरुषों के बराबर पहुंच गए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में तो ये अब पुरुषों से भी आगे बढ़ चुकी हैं।

केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्ष में महिला स्वामित्व वाली छोटी व मध्यम इकाइयों की हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी बढ़ी है। प्रदेश में मैन्यूफैक्चरिंग में स्थापित होने वाली हर दूसरी इकाई का नेतृत्व महिला कर रही है। उद्योगों में अब 52% से ज्यादा इकाइयों की मालिक महिलाएं हैं।

## क्या होगा हमारी खेती का?

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना प्रदेश में खाद व बीज बेचने वाली कंपनियों पर छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में भारी मात्रा में नकली खाद और बीज पकड़े गए हैं। कंपनियां मुनाफे के फेर में किसानों को मुश्किल में डाल रही है।

अब तक 73 खाद व बीज कंपनियों पर कार्रवाई हो चुकी है। हजारों क्विंटल नकली बीज और उर्वरक सीज किए हैं। कई कंपनियां किसानों को धोखा दे रही हैं। किसानों का कहना है कि हम कब तक ठगे जाते रहेंगे?

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कटूस', जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485